

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 29] नई दिल्ली, बुध्दिवार, जनवरी 25, 1979/माघ 5, 1900  
No. 29] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 1979/MAGHA 5, 1900

---

इस भाग में भिन्न वृष्ट संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paghug is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

---

वाणिज्य, सागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० 13-ई०टी०सी०(पी०एम०)/79

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1979

नियमित व्यापार नियंत्रण

विषय : सभी रूपों में जीरा बीजों का निर्यात

निसिख सं० 28/3/79/ई-1 :--उपर्युक्त विषय पर वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना  
म० 2-ई०टी०सी०(पी०एम०)/78 दिनांक 4-1-78, सं० 38-ई०टी०सी०(पी०एम०)/78 दिनांक  
9-6-78 और म० 53-ई०टी०सी०(पी०एम०)/78 दिनांक 7-8-78 एवं निर्यात(नियंत्रण)  
संशोधन आदेश सं० ई०(सी०)प्रो०/1977 ए०एम० (94) दिनांक 25 जनवरी, 1979 की  
ओर ध्यान दिनाया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने के पश्चात् और जीरा बीजों से संबंधित उपर्युक्त सांख्यिक सूचनाओं में विहित अनुदेशों के अधिकरण में यह निश्चय किया गया है कि सभी रूपों में जीरा बीजों के निर्यात की स्वीकृति सभी अनुमेय गंतव्य के लिये खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत ही जायेगी। तदनुसार अप्रैल 1978—मार्च 1979 की निर्यात नीति में निम्न-लिखित संशोधन उपयुक्त स्थान पर नीचे संकेतित अनुसार किये जाएंगे :—

| क्रम सं० | पृष्ठ सं० | संदर्भ                | संशोधन                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 15        | क्रम सं० 18(2) कालम-3 | वर्तमान अभ्युक्ति को इस प्रकार पढ़ने के लिये संशोधित किया जायेगा :<br>“निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत सभी अनुमेय गंतव्य के लिये अनुमेय है।”<br>का०वें० शेषाद्री, मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात |

# MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

## PUBLIC NOTICE NO. 13-ETC (PN)/79

New Delhi, the 25th January, 1979

## EXPORT TRADE CONTROL

**Subject : Export of Cummin Seeds—in all forms.**

**File No. 28/3/79/E-1.**—Attention is invited to Department of Commerce Public Notices No. 2-ETC (PN)/78 dated 4-1-78, No. 38-ETC (PN)/78 dated 9-6-78 and No. 53-ETC (PN)/78 dated 7-8-78 and Exports (Control) Amendment Order No. (EC)0 1977/AM (94) dated 25th January, 1979, on the above subject.

2. On a review of the position and in supersession of the instructions contained in the aforesaid Public Notices regarding Cummin Seeds, it has been decided that export of cummin seeds—in all forms, will be allowed under OGL-3 to all permissible destinations. Accordingly, the following amendments will be made in the Export Policy, for April 1978—March 1979, at the appropriate place, as indicated below :—

| S.No. | Page No. | Reference            | Amendment                                                                                                                 |
|-------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 15       | S. No. 18(ii) Col. 3 | The existing remark shall be amended to read as under :<br>“Export allowed under OGL. 3 to all permissible destinations.” |

K.V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports